

सूचना

डी.एफ. मिडिल स्कूल इंदिरा नगर में ऑनलाईन के माध्यम से कक्षा नर्सरी व पहली के प्रवेश गरीबी रेखा प्रारंभ हो गए है। स्कूल की पी.एस. आई. डी.

62915 है। जो कि फार्म में दर्शित होगी।

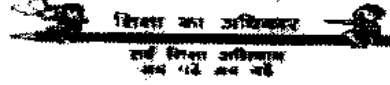
प्रिय अभिभावक गरीबी रेखा प्रवेश ऑनलाईन आर.टी.

ई. पोर्टल पर 15 जून से 30 जून तक होंगे। फार्म

का सत्यापन नजदीकी जन शिक्षा केन्द्र में होगा।

प्रथम आए प्रथम पाएं

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (I)(C) के अंतर्गत कमज़ोर एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन पत्र Year 2022-23



A. प्रवेशार्थी का विवरण कृपया संपूर्ण जानकारी English Capital लेटर में भरे

1. परिवार की 8 अंकों की समग्र फैमली आईडी (अनिवार्य)
2. प्रवेशार्थी का 9 अंकों का समग्र आईडी (अनिवार्य)
4. पिता का समग्र आईडी
5. माता का समग्र आईडी
3. प्रवेशार्थी का 12 अंकों का आधार नंबर (अनिवार्य)

B. प्रवेशार्थी के निवास एवं संपर्क की जानकारी (पालक के वर्तमान निवास प्रमाणपत्र के अनुसार) केपीटल लेटर में भरे

- a) जिला.....
- b) जनपद पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगरनिगम.....
- c) ग्राम पंचायत/जोन क्रमांक..... ग्राम/वार्ड.....
- d) मोहल्ला/चमाहट.....
- e) मकान एवं..... पता.....
- f) सीट आवंटन की सूचना देने हेतु मोबाइल-1
- g) सीट आवंटन की सूचना देने हेतु मोबाइल-2
- h) ईमेल(यदि हो तो).....

C. जन्म प्रमाणपत्र के अनुसार प्रवेशार्थी एवं उसके माता, पिता, अभिभावक की जानकारी केपीटल लेटर में भरे

1. प्रवेशार्थी का प्रथम नाम
2. उपनाम (Surname)
3. जन्मतिथि DD/MM/YYYY दिनांक माह वर्ष
4. लिंग:- बालक / बालिका
5. पिता का नाम..... माता का नाम.....
6. Caste- General/OBC/SC/ST.....

D. प्रवेश हेतु आरक्षित श्रेणी संवर्ग-श्रेणी का कोड दर्ज करें:-

1. वर्तमान स्थिति में जीवित बीपीएल कार्डधारी परिवार (अन्तोदयकार्डधारी) 2. अनुसूचित जाति
3. अनुसूचित जनजाति 4. विमुक्त जाति 5. वनग्राम पट्टाधारी 6. बिकलांग (CWSN) 7. महिला एवं बाल विकास
अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथ बच्चे 8. HIV ग्रस्त बच्चे

उपरोक्त श्रेणियों (उपरोक्त मन्त्र के माक 7, 8 को छोड़कर) के संबंध में शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेशार्थी के माता या पिता अथवा अभिभावक के नाम पर जारी प्रमाण पत्र का विवरण

- (i) क्रमांक..... दिनांक माह वर्ष

जारीकर्ता कार्यालय एवं अधिकारी का पदनाम-----

(ii) यदि प्रवेशार्थी विशेष आवश्यकता (CWSN) कैटेगरी का है तो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्रानुसार विकलांगता का प्रतिशत%-----विकलांगता का प्रकार-----

(iii) यदि प्रवेशार्थी HIV ग्रस्त कैटेगरी का है तो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र

क्रमांक..... दिनांक माह वर्ष

(IV) कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चे का विवरण
बच्चे के माता-पिता/अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र

Covidbalkatyan.mp.gov.in पर पंजीयन का पंजीयन क्रमांक.....

माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु दिनांक माह वर्ष-2021

E. प्रवेश हेतु कक्षा -नर्सरी/ केंजी-1/ केंजी -2/ पहली(1)

F. प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेश हेतु आवेदित स्कूल चयन का विवरण प्राथमिकता क्रम अनुसार निम्नानुसार है:-

स्कूल की प्राथमिकता क्रमांक	चयनित स्कूल का स्कूल आईडी (PS-----)	प्रवेश हेतु आवेदित स्कूल का नाम एवं पता (प्राथमिकता क्रमानुसार ही स्कूल के नाम दर्ज करें)	आवेदक का माई/कॉइन क्या इस स्कूल में अध्ययनरत है यदि हाँ तो टिक करें	यदि क्रमांक 4 में यदि विकल्प ही चुना जाता है तो क्या पालक इस बच्चे को भी इसी स्कूल में निःशुल्क प्रवेश हेतु सहमत है। हाँ/नहीं
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

माता/पिता/अभिभावक द्वारा घोषणा

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में मेरे द्वारा दर्ज प्रवेशार्थी स्वयं के संबंध में दी गई समस्त जानकारी सही है। मेरे द्वारा एक ही आवेदन किया जा रहा है, अन्य आवेदन नहीं किया गया है। मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदक पूर्व में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क अध्ययन नहीं किया है एवं वर्तमान में अन्य किसी भी प्राइवेट स्कूल में अधिनियम की धारा 12(1)(C) के तहत निःशुल्क प्रवेशित नहीं है। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाये जाने की स्थिति के लिये मैं सदैव जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। यदि किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी पायी जाती है तो मेरे बच्चे की सीट आवंटन निरस्त कर दी जाये एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही के लिये मैं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक

हस्ताक्षर/बयौट का निशान

(माता/पिता/अभिभावक) का नाम-----

आवश्यक सूचना-

1. आवेदक पूर्व में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क अध्ययन किया है अथवा वर्तमान में किसी भी प्राइवेट स्कूल में अधिनियम की धारा 12(1)(C) के तहत निःशुल्क प्रवेशित है तो आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है।
2. आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत पावती एवं सत्यापन प्रपत्र अपने पास सुरक्षित रखे।
3. ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदक द्वारा आरटीई पोर्टल से सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जायेगा एवं निर्धारित दिनांक तक आवेदन पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो, सत्यापन प्रपत्र तथा आवेदन प्राप्ति की ऑनलाइन पावती सहित अपने आवेदन में चयन किये गये जनशिक्षा केन्द्र है वहा पर सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।
4. ऑनलाइन आवेदन के पश्चात निर्धारित समय में मूल दस्तावेजों सहित सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित समयावधि में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होने पर आवेदन निरस्त माना जायेगा।
5. सत्यापन के समय प्रवेशार्थी का नाम, माता, पिता का नाम, जन्म दिनांक, निवास के प्रमाण की जानकारी, आरटीई कोटा का अंकित जानकारी एवं मूल दस्तावेजों से मिलान न होने की स्थिति में आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा।
6. आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर-1 दर्ज किया है सत्यापन के समय इस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आवेगा अतः इस मोबाइल को साथ में ले जाना अनिवार्य है।
7. एक प्रवेशार्थी द्वारा एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, यदि एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तो आवेदन निरस्त हो जायेगा।